संख्या-15/24/2018-का-4-2018

प्रेषक,

श्री मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष, उ०प्र०अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः:दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

विषयः- प्रदेश के विभिन्न आयोगों / चयन बोडों की चयन प्रक्रिया को त्वरित ढंग से कराने, पारदर्शी तरीके एवं समयशील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न आयोगों / चयन बोर्डों की चयन प्रकिया को त्वरित ढंग से कराने, पारदर्शी तरीके एवं समयशील बनाये जाने एवं शुचितापूर्ण चयन कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित किया जा रहा है:-

<u>अ- परीक्षा केन्द्रो के निर्धारण हेतु प्रस्तावित मानकः-</u>

परीक्षाओं में शुचिता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि परीक्षा केन्द्रों का चयन / निर्धारण बहुत ही सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाए और इसमें जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान लिया जाए। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में अनिवार्य व्यवस्थायें निम्नवत् हैं:-

<u>1- अनिवार्य व्यवस्थायें:-</u>

1- परीक्षा केन्द्र बाउंड्रीवाल से घिरा हो एवं बन्द्र करने वाला गेट लगा हो।
2- परीक्षा केन्द्र में सभी परीक्षाकक्षों में प्रकाश एवं पंखों की समुचित व्यवस्था हो।
3- सभी परीक्षा कक्ष सी.सी.टी.वी. कैमरों से युक्त हों।
4- परीक्षा कक्षों में फर्नीचर की उपयुक्त व्यवस्था हों।
5- परीक्षा केन्द्रों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हों, पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हों।
6- परीक्षा केन्द्र पर विद्यतु व्यवस्था हो एवं वैकल्पिक व्यवस्थां के रूप में जेनरेटर/यूपीएस की सुविधा उपलब्ध हो।
7- परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्र रखने हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे युक्त एक अलग कक्ष हो।
8- अभ्यर्थियों के बैग, मोबाइल आदि रखने की व्यवस्था हो।
9- परीक्षा केन्द्र पर पूर्व में परीक्षायें आयोजित करने के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य न आया हो अर्थात past performance देखा जायेगा।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करते समय परीक्षार्थियों की तलाशी की व्यवस्था की जायेंगी तथा महिलाओं की तलाशी हेतु पृथक व्यवस्था की जायेगी।

2- वर्गीकरण हेतु मानक निम्नवत् होंगे:-

1- परीक्षा केन्द्र शासकीय है / शासकीय सहायता प्राप्त / निजी संस्था।
2- परीक्षा केन्द्र की बस स्टैंड से दूरी।
3- परीक्षा केन्द्र की रेलवे स्टेशन की दूरी।
4- परीक्षा केन्द्र की कोषागार से दूरी।
5- परीक्षा केन्द्र पर कुल परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता।
6- परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थान्तर्गत अध्यापकों की संख्या।
7- परीक्षा केन्द्र पर अन्य व्यवस्थाओं हेतु संस्थान्तर्गत कार्मिकों की संख्या ।
8- परीक्षा केन्द्र पर विभिन्न चयन आयोगों द्वारा विगत 3 वर्ष में आयोजित कराई गई परीक्षाओं की संख्या।
9- परीक्षा केन्द्र शहर की आबादी के अन्दर है या शहर की आबादी से दूर है।
10- परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु मार्ग की स्थिति (चौड़ी सड़क अथवा पतली गली)।
11- परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु यातायात के साधनों की स्थिति।
12- परीक्षा केन्द्र के भवन की स्थिति।
13- परीक्षा केन्द्र पर फर्नीचर एवं विद्युत उपकरणों (बिजली, पंखा, सीसीटीवी) आदि की स्थिति।
14- परीक्षा केन्द्र मण्डलीय नगर, जनपदीय नगर अथवा तहसील स्तरीय नगर में स्थित है।

उपरोक्त मानकों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय एनआईसी अधिकारी, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा विभाग के उपलब्ध अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (डी.आई.ओ.एस.) की एक संयुक्त समिति परीक्षा हेतु उपलब्ध जनपदीय संस्थाओं को ए, बी, सी, व डी के रूप में वर्गीकृत करें और इसी वर्गीकरण के आधार पर चयन आयोग / बोर्ड अपनी परीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार उपरोक्त कम में परीक्षा केन्द्रों का चयन करें।

जनपद स्तरीय उक्त समिति द्वारा संदेहास्पद परीक्षा केन्द्रों का भी चिन्हांकन किया जाए और किसी भी दशा में ऐसे संदेहात्मक विद्यालयों / संस्थान को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए।

परीक्षा केन्द्रों का उक्त वर्गीकरण के हिसाब से चयन की एक डायनमिक प्रकिया होनी चाहिए परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षा केन्द्रों के चयन का परीक्षण करना उचित होगा जिससे नये परीक्षा केन्द्र यदि उपलब्ध हो गये हों तो उन्हें जोड़ा जा सके और ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य आया हो तो उन्हें सूची से हटाया जा सके। विभिन्न चयन आयोग / बोर्ड इस तरह की सूचनाओं को आपस में साझा भी कर सकेंगे।

3- परीक्षाओं हेतु स्थान का चयनः-

1- परीक्षा देने हेतु परीक्षार्थियों को बहुत अधिक दूर न जाना पड़े परन्तु परीक्षाओं में शुचिता बनाये रखने के लिए उचित होगा कि परीक्षार्थियों को उनके निवास के मण्डल से अन्यत्र करीब के परीक्षा केन्द्र में भेजा जाए परन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाए कि परीक्षा केन्द्रों का आवंटन रेन्डम बेसिस पर हो जिससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केन्द्र में बैठकर परीक्षायें न दे सकें।
2- किसी भी परीक्षा केन्द्र पर उतने ही परीक्षार्थियों को आवंटित किए जाए जितने परीक्षार्थियों के लिए केन्द्र में समुचित अवस्थापना सुविधायें तथा स्टाफ उपलब्ध हो। ऐसा करते समय उस केन्द्र की

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

लोकेशन तथा सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जायेगा। परीक्षा केन्द्र ऐसे स्थान पर चयनित किये जायें जो आबादी से दूर न हो एवं जहाँ समुचित निगरानी करने में कठिनाई न हो।

3- यदि कोई बड़ा परीक्षा केन्द्र चयनित किया जाता है तो उसे प्रबन्धन की दृष्टि से विभिन्न भागों (ब्लॉक) में बाँटा जा सकता है।

4- कक्ष निरीक्षक का कक्ष आवंटन परीक्षा के दिन से पहले न किए जाए बल्कि परीक्षा प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्व ही रैन्डमाइजेशन से किए जाए।

परीक्षा केन्द्रो (ए, बी, सी, डी) के निर्धारण हेतु संयुक्त समिति निम्नवत् होगी:-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3- जिला स्तरीय एनआईसी अधिकारी	सदस्य
4- उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा नियामक अधिकारी	सदस्य
5- जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य

<u>4-प्रिंटिंग प्रेस का चयनः-</u>

प्रिंटिंग प्रेस का चयन अत्यन्त गोपनीय एवं महत्वपूर्ण प्रकरण है। अतः इसके चयन में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में निम्न बातों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाए:-

1- प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी की दृष्टि से उचित हो तथा गोपनीय कार्य हेतु सक्षम हो। प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग एवं पैंकिंग से लेकर चयन संस्था द्वारा इंगित स्थान तक भेजने में गोपनीयता बनाये रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रिंटिंग प्रेस की हो।

2- प्रदेश के अन्दर की प्रिटिंग प्रेस का चयन न किए जाए।

3- प्रेस के पास परीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए समुचित अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।

4- प्रिंटिंग प्रेस का पूर्व रिकार्ड अच्छा हो एवं इसकी ख्याति में कोई प्रतिकूल बात न रही हो।

5- प्रिंटिंग हेतु समस्त कार्य की इनहाऊस व्यवस्था हो एवं किसी भी कार्य को आउटसोर्स न किया गया हो।

6- प्रिंटिंग का समस्त कार्य सीसीटीवी कैमरों के समक्ष हो और उसकी रिकार्डिंग कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।

7- यदि कोई चयन आयोग / बोर्ड किसी प्रिंटिंग प्रेस को ब्लैक लिस्ट करता है तो इस सूचना से अन्या आयोंगों / बोडों को भी अवगत करा दिया जाये।

8- प्रिंटिंग प्रेस की एरिया में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए तथ वह चालू हालत में हो।

9- प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग एरिया के अन्दर किसी भी स्टाफ, आगन्तुक को स्मार्ट फोन/कैमरा आदि ले जाने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए।

10- प्रिंटिंग प्रेस में अन्दर जाने तथ बाहर आने वाले प्रत्येक द्वार पर सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था हो एवं अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो।

<u>5-प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आदिः-</u>

1- प्रश्नपत्रों के बनाने में यह ध्यान रखा जाये कि परीक्षा के समय अतिरिक्त प्रश्नपत्रों का सेट उपलब्ध रहे जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग किया जा सके और परीक्षा स्थगित करने की स्थिति न बने।

2- प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की सेंटिंग मल्टिपल रूप में की जाए तथा उनके उत्तरों के विकल्प भी मल्टिपल सेट में रहें जिससे नकल की गुंजाइश से बचा जा सके।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नपत्रों के सम्बन्ध में ओ०एम०आर० सीट तीन प्रतियों में रखी जाए जिसमें एक मूल प्रति, दूसरी अतिरिक्त प्रति सुरक्षित रखने हेतु तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जा सके।

4- उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने हेतु डिजिटल प्रणाली अपनाया जाना बेहतर विकल्प है परन्तु चयन आयोगों/बोर्डों को इन्फास्ट्रचर तथ उचित जनशक्ति से सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

5- कोषागार से परीक्षा केन्द्रों तक प्रश्नपत्र मजिस्ट्रेट/पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाए एवं केन्द्रों पर प्रश्नपत्र खोलने की प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाए। यथासम्भव प्रश्नपत्र स्टील ट्रंक में रखे जाएं जिनमें डिजिटल लॉक की व्यवस्था हो।

6- एक ही परीक्षा में अभ्यर्थियों की बहुत अधिक संख्या होने की स्थिति में स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था की जाए एवं इसके उपरान्त मुख्य परीक्षा सम्पन्न कराई जाए।

7- यदि परीक्षा दो पालियों में हो रही है तो प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित ट्रंक्स पर अलग-अलग स्पष्ट निशान 'हों तथा परीक्षा केन्द्रों पर उन्हें अलग-अलग समय पर भेजा जाए।

<u>6-प्रशासनिक बिन्दुः-</u>

1- चयन आयोग/भर्ती बोर्ड जिनके एजेन्सियों के माध्यम से चयन कराये जाते हैं, वह एजेन्सी के चयन में विशेष सतर्कता बरते और संदेहास्पद एजेन्सियों का चिन्हांकन करते हुए उनसे चयन/भर्ती के कार्य न कराये जायें। एजेन्सियों का चयन सम्बन्धित चयन आयोग अथवा भर्ती बोर्ड द्वारा स्वयं गोपनीयता बनाये रखते हुए किया जाना चाहिए।

2- परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु बेहतर सुरक्षा प्रबन्धन के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस कार्य हेतु प्रदेश स्तरीय एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे यथावश्यकता चयन आयोग/बोर्ड अपनी समस्याओं को त्वरित रूप से रखते हुए समाधान करा सके।

3- जनपद स्तर पर परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु अपर जिला अधिकारी स्तर से अन्यून अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

4- परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में डी०जी०पी० संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव, तथा सम्बन्धितआयोग के सचिव की राज्य स्तरीय तथा जनपदों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डी०आई०ओ०एस० तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी की कमेटी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>7-अन्य बिन्दुः-</u>

चयन आयोगों/बोर्डों द्वारा परीक्षाओं को त्वरित ढंग से पारदर्शी एवं समयशीलता से कराये जाने के संबंध में बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा:-

1- विभिन्न विभागों के समान प्रकार के पदों को एक ही साथ सम्मिलित कर परीक्षायें आयोजित की जाएं।

2- अलग-अलग विभागों में समूह ग के मिलते-जुलते प्रकार के पदों नियमावलियों में समानता लाई जाए जिससे उन्हें एक ही चयन में सम्मिलित किया जा सके इस हेतु मानक नियमावली प्रसारित कर विभागों द्वारा उन नियमावलियों को अंगीकृत किया जाना चाहिए।

3- विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि अधियाचन भेजते समय उसे निर्धारित प्रारूप में ही त्रुटिरहित रूप में भेजा जाए जिससे विज्ञापन प्रसारण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके एवं बाद में किसी भी न्यायालयीय वाद से बचा जा सके।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

4- चयन आयोग / बोर्डों द्वारा, त्रुटिरहित अधियाचन प्राप्त होने की तिथि से परिणाम घोषित करने की तिथि तक का स्पष्ट कैलेण्डर बनाकर सार्वजनिक किए जाए और उसे लागू किया जाए।

5- चयन आयोग / बोर्डों में विभिन्न विभागों से अधियाचन भेजने की भी एक समय सारिणी निर्धारित की जाए जिससे विभिन्न विभागों के समान पदों को एक साथ मिलाकर चयन प्रकिया एक साथ सम्पन्न कराई जा सके।

6- नियोजन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-20/2018/ 497/35-1-2018-7-295/ ज.नि.प्र./2017, दिनांक 22.06.2018 एवं शासनादेश संख्या-23/2018/603/35-1-2018-7-2958 ज.नि.प्र./2017, दिनांक 28.08.2018 के माध्यम से परीक्षायें आयोजित कराने हेतु निजी संस्थाओं को चयनित कर एक पैनल तैयार किया गया है जिसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षाओं हेतु एजेंसीज इम्पैनल्ड हैं।

7- किसी भी परीक्षा का सम्पूर्ण कार्य एक ही एजेंसी को उचित नहीं है। परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय कार्य यथा सेटिंग / मुद्रण व प्रेषण / मूल्यांकन एवं परिणाम तैयार करने वाली संस्था का चयन गोपनीय तरीके से आयोगों / बोर्डों द्वारा जाएगा, जिससे इसकी गोपनीयता बनी रहे तथा यह कार्य एजेंसी से कराये जाने चाहिए जो उक्त कार्य को करने में स्वयं सक्षम हों। परीक्षा संबंधी अन्य कार्य यथा आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं परीक्षा का संचालन करना किसी अन्य एजेंसी को दिया जा सकता है।

8- विभिन्न चयन आयोगों / बोर्डों की कार्यप्रणाली का संचालन विभिन्न अधिनियम / विनियमों / नियमावली आदि के माध्यम से सम्पादित होता है। यदि वर्तमान अधिनियम / विनियम / नियम आदि के कारण कोई विधिक अड़चन आती है तो ऐसे अधिनियम / विनियम / नियम में यथावश्यकतानुसार परिवर्तन करने पर सक्षम स्तर पर विचार किया जाए एवं तदुपरान्त यथावश्यकतानुसार संस्तुतियों को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश के विभिन्न आयोगों / चयन बोर्डों में चयन प्रक्रिया को त्वरित ढंग से कराने हेतु उक्त परीक्षा नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण की जायेगी।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-15/24/2018(1)-का-4-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3. सचिव, उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in